रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 128] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 29, 2000/फाल्गुन 10, 1921
No. 128] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 29, 2000/PHALGUNA 10, 1921

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 फरवरी, 2000

का.आ. 178(अ).—केन्द्र सरकार, अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 (1952 का 74) की धारा 5 के अधीन चैंबर ऑफ कामर्स, हापुड़ द्वारा मान्यता के नवीकरण के लिए आवेदन पर वायदा बाजार आयोग के परामर्श से विचार करके और यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना व्यापार के हित में और लोकहित में भी होगा, एतद्द्वारा उक्त अधिनियम, की धारा 6 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त चैंबर को आलू में अग्रिम संविदाओं के बारे में 1 अप्रैल, 2000 से 31 मार्च, 2003 तक की अवधि के लिए मान्यता प्रदान करती है।

2. एतद्द्वारा प्रदत्त मान्यता इस शर्त के अध्याधीन है कि उक्त चैंबर ऐसे निदेशों का पालन करेगा जो वायदा बाजार आयोग द्वारा समय-समय पर दिए जाएंगे।

[मिसिल सं. 12/1/IT/2000]

कमल किशोर, आर्थिक सलाहकार

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Consumer Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th February, 2000

S.O. 178(E).—The Central Government, having considered in consultation with the Forward Markets Commission, the application for renewal of recognition, made under Section 5 of the Forward Contracts (Regulation) Act, 1952 (74 of 1952), by the Chamber of Commerce, Hapur, and being satisfied that it would be in the interest of the trade and also in public interest so to do, hereby grants in exercise of the powers conferred by Section 6 of the said Act, recognition to the said Chamber for a further period from 1st April, 2000 to 31st March, 2003 in respect of forward contracts in Potatoes.

2. The recognition hereby granted is subject to the condition that the said Chamber shall comply with such directions as may, from time to time be given by the Forward Markets Commission.

[F. No. 12/1/IT/2000]

KAMAL KISHORE, Economic Adviser

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 फरवरी, 2000

का.आ. 179(अ).—केन्द्र सरकार, अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 (1952 का 74) की धारा 5 के अधीन चैंबर ऑफ कामर्स, हापुड़ द्वारा मान्यता के नवीकरण के लिए आवेदन पर वायदा बाजार आयोग के परामर्श से विचार करके और यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना व्यापार के हित में और लोकहित में भी होगा, एतद्द्वारा उक्त अधिनियम, की धारा 6 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त चैंबर को गुड़ में अग्रिम संविदाओं के बारे में 1 अप्रैल 2000 से 31 मार्च, 2002 तक दो वर्ष की अवधि के लिए मान्यता प्रदान करती है।

2. एतद्द्वारा प्रदत्त मान्यता इस शर्त के अध्याधीन है कि उक्त चैंबर ऐसे निदेशों का पालन करेगा जो वायदा बाजार आयोग द्वारा समय-समय पर दिए जाएंगे।

[मिसिल सं. 12/1/IT/2000]

कमल किशोर, आर्थिक सलाहकार

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th February, 2000

S.O. 179(E).—The Central Government, having considered in consultation with the Forward Markets Commission, the application for renewal of recognition, made under Section 5 of the Forward Contracts (Regulation) Act, 1952 (74 of 1952), by the Chamber of Commerce, Hapur, and being satisfied that it would be in the interest of the trade and also in public interest so to do, hereby grants in exercise of the powers conferred by Section 6 of the said Act, recognition to the said Chamber for a further period of two years from 1st April, 2000 to 31st March, 2002 in respect of forward contracts in Gur.

2. The recognition hereby granted is subject to the condition that the said Chamber shall comply with such directions as may, from time to time be given by the Forward Markets Commission.

[F. No. 12/1/IT/2000]

KAMAL KISHORE, Economic Adviser

Printed by the Manager, Govt of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054—2000.